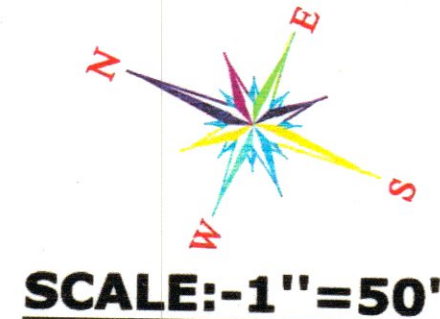
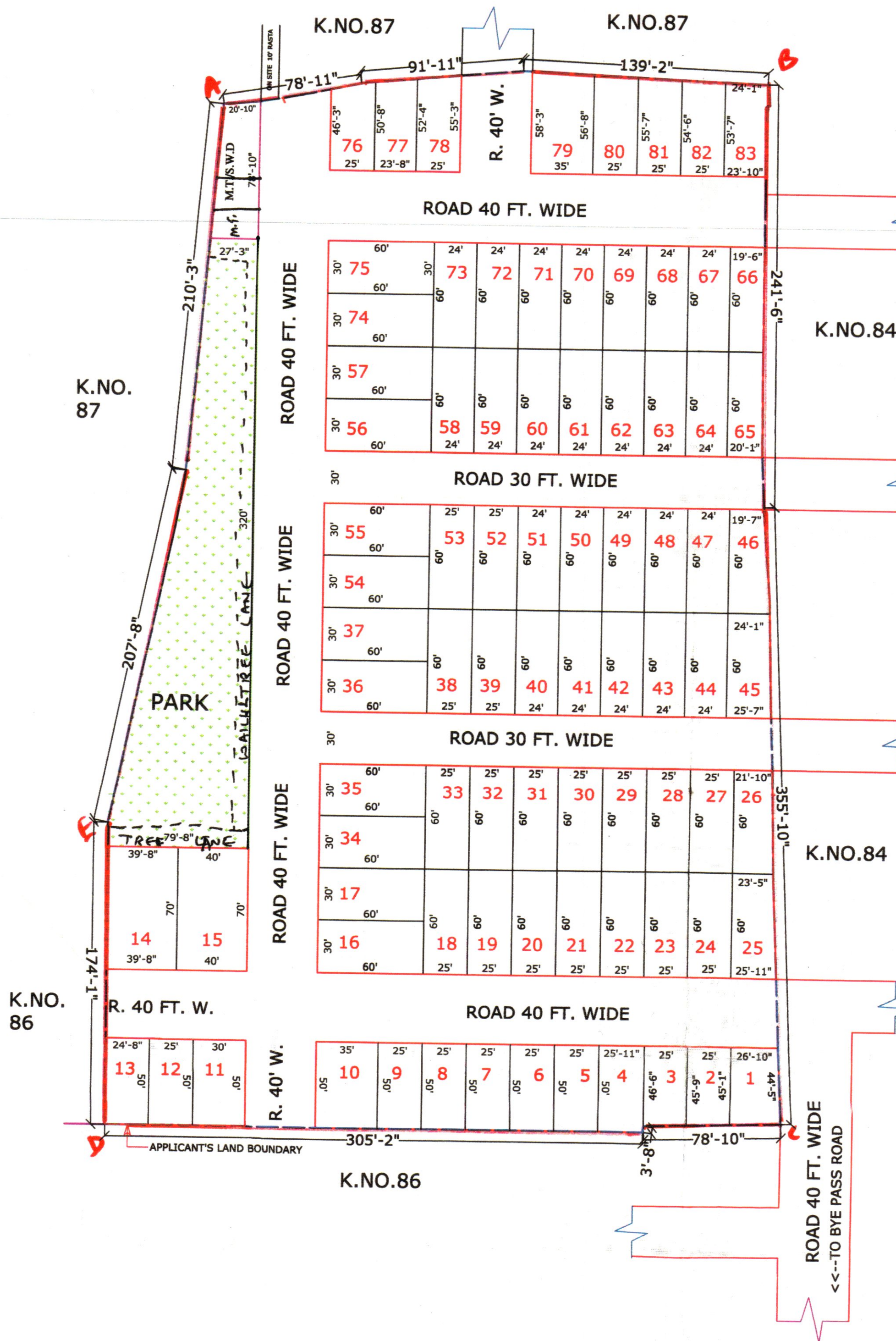
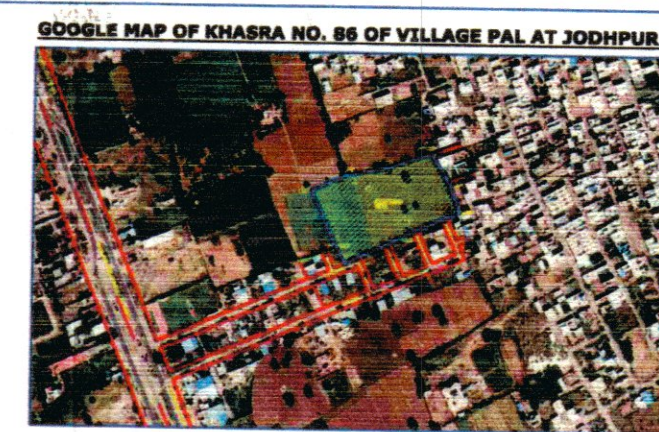
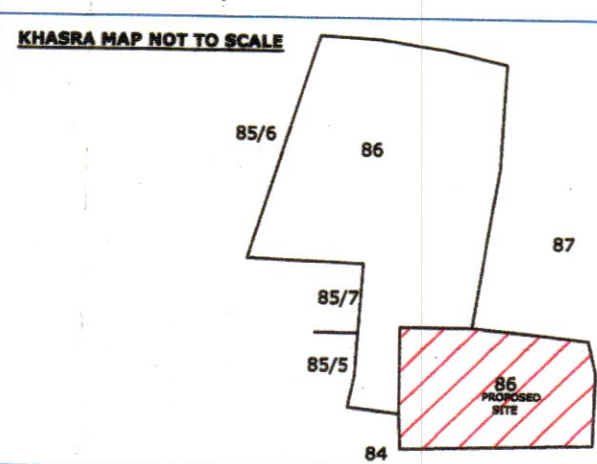
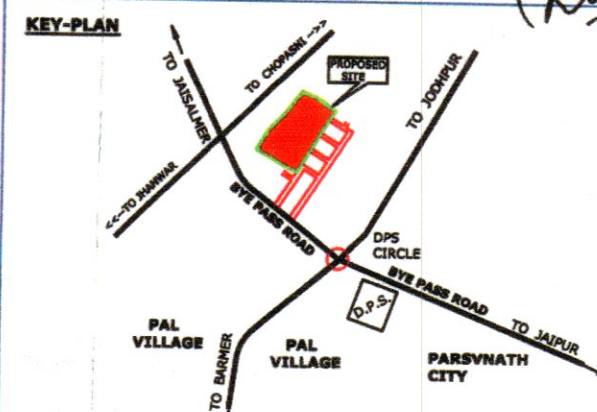


LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 86 OF VILLAGE PAL AT JODHPUR



LAND USES ANALYSIS		
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
RESIDENTIAL AREA	13861.04	59.75 %
PARK AREA	1941.96	08.37 %
M.T.S.W.D. AREA	207.27	00.89 %
ROAD/OPEN AREA	7187.85	30.99 %
TOTAL SCHEME AREA	23198.12	100.00 %

Area in Bigha = 11 Bigha, 19 Bishwa, 13 Bishwansi



है माराम *Pankaj Suresh Dhangra*
 मालाराम पावती
 नरसरी
Rusha
Prashant
Nareg

JDA/Gr(P)/2-03/210
 06/10/2023

प्रस्तुत ले आउट प्लान को पूर्व के दि. 26.10.2022 को सुपरइम्पोज मानचित्र के मिलान कर बिंदु से A से E माई किया गया।

एप्लिकेशन संख्या 03 :-	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	एकका	प्रयोजन
11.09.2023	जोन-3	पाल	86	46.08.00 बीघा में से 11.19.13 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बालाराम पुत्र श्री पुनाराम, श्रीमती बसन्ती पत्नी श्री जेठाराम, श्रीमती दमवती पत्नी श्री दौलतराम, श्री हेमराम पुत्र स्व. श्री पुनाराम, श्री सुशाल पुत्र श्री जेठाराम, श्री मणज पुत्र श्री हेमराम, श्रीमती मोहिनी पत्नी श्री हेमराम, श्री नरेंद्र पुत्र श्री दौलतराम, श्रीमती पार्वती पत्नी श्री बालाराम, श्री प्रदीप पुत्र श्री बालाराम, श्री सौरभ पुत्र श्री दौलतराम, श्री नरेश पुत्र श्री बालाराम				
विषय-	राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 86 एकका 46.08.00 बीघा में से 11.19.13 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय-	समिति द्वारा एप्लिकेशन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति की भूमि में से जोविधा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. निदेशक आयोग द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों (पहुंच मार्ग, पार्क, एस.डब्ल्यू.एम. मोबाइल टॉवर, 10 फीट पाथ-वे इत्यादि से संबंधित) एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समायोजन करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 4. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है. अतः अधिक में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है. से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाइल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 7. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मूक पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्व (नगरीय क्षेत्र जेडपुर्) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्त्री की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्त्री वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एकजुट में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर मुख्यधरा रहन में रखे जाने हेतु निम्नको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 9. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे। 10. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मूक पर डिमांडेशन की सुनिश्चितता जोन/प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही मुख्यधरा के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जावे। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाधि एवं मालिकाना हक की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्राप्ति की स्वयं की होनी। प्राप्ति से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि (प्रतिगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 12. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जेडपुर् विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

प्रमाणित
 प्रमाणित
 निरीक्षक (भू.अ.)
 जेडपुर् विकास प्राधिकरण

SH. PRITHVI RAJ
 LICENCE No. JDA/TECH/2021/07
 Plot No. 66, Laxmi Vihar
 Kudi Bhagtasani, Jodhpur
 (M) 9414134639, 9950780323

26/9/23
 सहकारक नगर निवाजक
 जेडपुर् विकास प्राधिकरण
 जेडपुर्
 जेडपुर् विकास प्राधिकरण
 जेडपुर्
 जेडपुर् विकास प्राधिकरण
 जेडपुर्
 जेडपुर् विकास प्राधिकरण
 जेडपुर्